### भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI शैक्षिक अनुभाग/ ACADEMIC & EXAMINATION SECTION

No. IITD/PGSR/2022/ May 20, 2022

# विषय: पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा आकस्मिक अनुदान के उपयोग के लिए संशोधित मानदंड Subject: Revised Norms For Utilization of Contingency Grant by PhD Research Scholars

#### Reference No. IITD/PGSR/2019/177552 dated 8th November 2019

पहले की अधिसूचना सं IITD/PGSR/2019/177552 दिनांक 8 नवंबर 2019 के क्रम में, ऊपर उल्लिखित विषय पर, निदेशक ने 1 जनवरी 2022 से सीआरएफ और अन्य केंद्रीय अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग करने के लिए आकस्मिक अनुदान से अनुसंधान विद्वानों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, पीएचडी अनुसंधान विद्वानों के लिए आकस्मिक अनुदान के उपयोग के लिए संशोधित मानदंड निम्नानुसार दिए गए हैं (जोड़ा गया बिंदु ई): In continuation to the earlier notification No. IITD/PGSR/2019/177552 dated 8th November 2019, on the subject cited above, the Director has approved the reimbursement of expenditure made by Research Scholars from the contingency grant for using the CRF and other Central Research Facilities w.e.f. 1st January 2022. Accordingly, the revised norms for the utilization of contingency grant for PhD Research Scholars are given as under (added point e):

- 1. इस अनुदान को संस्थान के पूर्णकालिक अनुसंधान विद्वानों (नीचे बिंदु 2 में अपवादों) तक विस्तारित किया गया है, जिसमें संस्थान सहायता प्राप्तकर्ताओं के साथ-साथ आईआरडी / एफआईटीटी परियोजनाओं और पूर्णकालिक और डबल डिग्री छात्रों पर पूर्णकालिक काम कर रहे अंशकालिक अनुसंधान विद्वान भी शामिल हैं।
  - This grant is extended to all Full-Time Research Scholars of the Institute (exceptions in point 2 below), including Institute Assistantship recipients as well as Part-Time Research Scholars working full-time on IRD/FITT projects and Joint & Double Degree students during their stay at IIT Delhi.
- 2. शोध छात्र जो पीएचडी छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें एक निश्चित राशि आकस्मिक व्यय के लिए अलग से लगाई जाती है (जैसे पीएमआरएफ फेलोशिप, कुछ उद्योग प्रायोजित फैलोशिप, डीएसटी इंस्पायर, यूजीसी, सीएसआईआर, डीएसटी), इस अनुदान के हकदार नहीं होंगे। Research scholars who are availing a PhD scholarship in which a certain amount is separately earmarked for contingency expenditure (such as PMRF fellowship, certain industry-sponsored fellowship, DST INSPIRE, UGC, CSIR, DST), will not be entitled to this grant.
- 3 वार्षिक अनुदान 20,000 रुपये होगा, हालांकि, एक रिसर्च स्कॉलर को पार्थ रिसर्च स्कॉलर ट्रैवल अवार्ड (आरईटीए) चुने जाने के बाद, वह पुरस्कार के वर्ष में 30,000 रुपये के वार्षिक अनुदान के लिए पात्र होगा।
  - The annual grant will be Rs. 20,000. However, once a Research Scholar is selected for the Research Scholar Travel Award (RETA), he/she will be eligible for enhanced annual grant of Rs. 30,000 in the year of award and later.
- 4 अनुदान का उपयोग निम्नलिखित को कवर करने के लिए बढ़ाया गया है: Utilization of the grant is extended to cover the following:
- (ए) भारत के भीतर यात्रा व्यय को पूरा करने के लिए
- (a) For meeting Travel Expenses within India, for:
  - सम्मेलनों में कागजात प्रस्तुत करना, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेना (प्रासंगिक सॉफ्टवेयर या उपकरण प्रशिक्षण सिंहत)। पर्यवेक्षक और प्रमुख द्वारा प्रमाणित होने वाली यात्रा।
    - Presenting papers in conferences, attending workshops and training sessions (including relevant software or equipment training). Travel to be certified by Supervisor and Head.
  - फील्ड यात्राएं, डेटा संग्रह यात्राएं, अन्य प्रयोगशालाओं में नमूना परीक्षण आदि। पर्यवेक्षक और प्रमुख द्वारा प्रमाणित होने वाली यात्रा
    - Field trips, data collection trips, sample testing in other laboratories, etc. Travel to be certified by Supervisor and Head.
  - अन्य संस्थान जहां सह-पर्यवेक्षक स्थित हो सकते हैं, या पर्यवेक्षक के सहयोगी स्थित हो सकते हैं, या जहां पर्यवेक्षक स्थानांतरित हो सकते हैं। संयुक्त और डबल डिग्री छात्र भी साथी संस्थान की विदेश यात्रा के लिए पात्र होंगे। पर्यवेक्षक और प्रमुख द्वारा प्रमाणित होने वाली यात्रा

Other Institute where co-supervisor may be located or Supervisor's collaborator may be located, or where Supervisor may have moved to. The Joint and Double Degree students will also be eligible to travel to the partner Institute abroad. Travel to be certified by Supervisor and Head.

- पीएचडी अनुसंधान के संचालन के लिए आवश्यक कोई अन्य यात्रा, जैसा कि पर्यवेक्षक द्वारा उचित है। पर्यवेक्षक और डीआरसी द्वारा प्रमाणित होने वाली यात्रा

Any other travel necessary for conduct of PhD research, as justified by the by Supervisor(s). Travel to be certified by Supervisor and DRC.

उपरोक्त सभी मामलों में, यात्रा के लिए पात्रता जेआरएफ / एसआरएफ के लिए आईआरडी मानदंडों के अनुसार होगी, जो वर्तमान में निम्नलिखित है In all the above cases, the entitlement for travel shall be as per IRD norms for JRF/SRF, which is the following at present:

- एयर (किफायती वर्ग) / एसी 2 टीयर ट्रेन द्वारा
  - By Air (economy class) / AC 2 Tier by train
- 3000 रुपये प्रति दिन (मूल बिल के साथ) होटल आवास Hotel accommodation upto Rs. 3000 per day (with original bill)
- स्थानीय यात्रा और भोजन बिल प्रति दिन 1000 रुपये (मूल बिल के साथ)
  Local Travel and Food Bill uptoRs.1000 per day (with original bills)
- (बी) व्यावसायिक समाजों की सदस्यता
- (b) Membership of professional societies;
- (सी) जर्नल के लिए प्रकाशन शुल्क, पृष्ठ शुल्क सहित;
- (c) Publication charges for journal papers, including page charges
- (डी) अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए भुगतान (पर्यवेक्षक और डीआरसी द्वारा प्रमाणित होना)
- (d) Payment for online courses relevant to research area (to be certified by Supervisor and DRC)
- (ई) सीआरएफ और संस्थान की अन्य केंद्रीय अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग करने के लिए किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति
- (e) Reimbursement of expenditures incurred for using CRF and other Central Research Facilities of the Institute

अतुल व्यास/Atul Vyas संयुक्त कुलसचिव (शैक्षिक) /Joint Registrar (Academics)

## सभी पीएचडी अनुसंधान विद्वान/ALL PhD Research Scholars

विभागों /केंद्रों/ स्कूलों के प्रमुख/ Heads of Departments/ Centres/ Schools

### अंतःविषय कार्यक्रमों के समन्वयक/ Coordinators of Interdisciplinary Programmes

#### प्रतिलिपि/Copy to:

- 1. उपनिदेशक (रणनीति और योजना), उपनिदेशक (संचालन)/ Deputy Director (Strategy & Planning), Deputy Director (Operations)
- 2. सभी डीन और एसोसिएट डीन/ All Deans and Associate Deans
- 3. कुलसचिव/ Registrar
- 4. अध्यक्ष, गेट / जैम/ Chairman, GATE/ JAM
- 5. प्रमुख (सीआरएफ)/ प्रमुख (एनआरएफ)/Head, CRF)/Head (NRF)
- 6. विदेशी छात्र सलाहकार/ Foreign Student Advisor
- 7. उप कुलसचिव, लेखा/ Deputy Registrar, Accounts
- 8. उद्योग संपर्क अधिकारी ( टीएंडपी)/ Industry Liaison Officer (OCS)
- 9. उप कुलसचिव (निदेशक कार्यालय)/ Deputy Registrar (Director's Office)
- 10. सहायक कुलसचिव (शैक्षिक)/ Assistant Registrar (Academics)
- 11. सहायक कुलसचिव (छात्र मामले)/ Assistant Registrar (Student Affairs)
- 12. सहायक कुलसचिव (सम्मेलन) : अनुमोदन के लिए सीनेट में रखने के लिए।/ Assistant Registrar (Conference): For placing before Senate for ratification
- 13. जनसंपर्क अधिकारी/ Public Relations Officer
- 14. हिंदी सेल : 'सम्पर्क' में प्रकाशित करने के लिए/ Hindi Cell: For publishing in 'Sampark'
- 15. अधीक्षक (अकादिमक-पीजीएस) / Superintendent (Academics-PGS)